

नारी शक्ति ने ठाना है, रतलाम शहर को स्वच्छ बनाना है

नगर निगम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शहर की स्वच्छता और महिलाओं की भागीदारी विषय पर समारोह आयोजित कर महिलाओं को सम्मान किया रतलाम 08 मार्च । जहां स्वच्छता होती है वहां लक्ष्मी निवास करती है। इसी तरह स्वच्छता को उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी भी माना जाता है। घर हो या शहर हो हर जगह की स्वच्छता में महिलाओं का योगदान रहता है। स्वच्छ सर्वेक्षण -2022 के तहत रतलाम शहर को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर बनाने के लिए नगर पालिक निगम अपने प्रयास सतत जारी रखे हुए है, मगर अब स्वच्छता के इस महाअभियान में नारी शक्ति भी अपना भरपूर सहयोग प्रदान कर खुद अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छंद रखेगी साथ ही दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेगी।

उक्त संकल्प मंगलवार को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में शहर की स्वच्छता में महिलाओं की भागीदारी विषय पर आयोजित समारोह के दौरान उपस्थित जागरुक महिलाओं ने लिया है। इस अवसर पर स्वच्छता विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। जिसमें महिलाओं व छात्राओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया है।

समारोह में अतिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायक संचालक सुश्री अंकिता पण्ड्या, लायन क्लब अध्यक्ष मोबीना गौरी, स्वच्छता ब्राण्ड एम्मेसडर दिव्या पाटीदारी, अंजू सूर्यवंशी, नवोदित बैरागी आदि उपस्थित रहे।

कन्या पूजन से शुभारंभ

समारोह की शुरुवात की शुरुवात कन्या पूजन के साथ की गई। उपायुक्त श्री विकास सौलकी, कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल ने विधि-विधान से पांच नन्ही कन्याओं का पूजन कर उनकी आरती उतारी। यहां शुभ्रता बन्दोडिया, राध्या बन्दोडिया, काश्वी चौहान, जयति पांचाल, आदि का पूजन किया गया।

स्पर्धाओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया

गुलाब चक्र परिसर में आयोजित इस भव्य समारोह के दौरान स्वच्छ रतलाम-सुंदर रतलाम की थीम पर भाषण, निबंध, चित्रकला, माँडल, रांगोली आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं व छात्राओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया।

यहां आयोजित भाषण प्रतियोगिता में वरिष्ठ शिक्षिका यशस्वी वर्मा, स्नेहलता भदौरिया, अंकिता पाल, व माया मोर्या ने अब्बल स्थान प्राप्त किया। इन सभी को नकद राशि व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। इसी तरह रांगोली प्रतियोगिता में अनिता झालीवाल, ममता प्रजापति, छाया मिश्रा, अंजना जादौन ने बेहतर रांगोलियों का निर्माण किया। निबंध प्रतियोगिता में शासकीय नर्सिंग स्कूल की छात्रा पदमा कुमावत, ज्योति जाटव, सपना सोनार्थी, श्रेया सेन ने अब्बल स्थान पाया। चित्रकला प्रतियोगिता में करिश्मा हरिन, पूनम आकोदिया, लविना जादवंश और प्रियंका मालवी ने बेहतर परीणाम दिए। माँडल प्रतियोगिता में आंचल चौहान, जयललिता धाकड़ और मानसी पासवान को भी बेहतर प्रदर्शन पर नकद इनाम व प्रमाण पत्र भेंट किए गए।

स्वच्छता में सहयोगी रही 51 महिलाओं का सम्मान किया

शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत व स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रमों में सहयोग करने वाली 51 वरिष्ठ महिलाओं का सम्मान भी अतिथियों ने किया। इस अवसर पर महिला सफाई मित्र, समाजसेवी, खिलाड़ी और शिक्षा व महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी महिलाओं को मोमेन्टों देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वच्छता बनाए रखने व शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने के उपायों से उपस्थितजनों को अवगत कराया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम ने समा बांधा

राष्ट्रीय गीत-संगीत व लोकनृत्य की प्रस्तुति समारोह में आकर्षण का केन्द्र रही। इस अवसर पर गायिका माधुरी वासनिक, नृत्यांगना पूजा व शिवागनी चौहान ने बेहतर प्रस्तुति दी। संगीत में संगत राजेश शर्मा (पंडित) जितेन्द्र चौहान, रोहित व रमन दी है।

कार्यक्रम का संचालन ऐहतेशाम अंसारी ने किया व आभार उपायुक्त श्री विकास सोलंकी ने माना।

गंदगी, अतिक्रमण व अमानक पॉलीथीन उपयोग तथा विक्रय करने पर 14 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 08 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैं, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 08 मार्च मंगलवार को 14 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नाकोड़ा ट्रेडर्स पर 10000, कपील पोखरना पर 5000, सिद्धांत फर्नीचर, मॉ टी स्टॉल, हेमन्त, भेरूलाल, राज कार डेकोर पर 500-500, निर्मल, सलीम, गणपत, रवि, शैलेन्द्र पर 200-200, नईम व देवीलाल पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी, अतिक्रमण व अमानक पॉलीथीन का उपयोग व विक्रय ना करने की समझाईश दी।

लोक अदालत में करो की बकाया राशि जमा कर पेनल्टी में छूट का लाभ लें

12 मार्च शनिवार को लोक अदालत का आयोजन

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि

रतलाम 08 मार्च । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 12 मार्च 2022 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार

में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- से अधिक तथा रूपये 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार (One Time Settlement) ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2020-21 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 12/03/2022 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 12 मार्च 2022 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

बिना अनुमति के पोस्टर चिपकाने वालों के विरुद्ध दर्ज होगी एफआईआर

रतलाम 08 मार्च । शहर की सड़को के विद्युत पोल, शासकीय भवन दीवारों सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के पोस्टर चिपकाने वालों पर नगर निगम द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाकर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के राजस्व अमले द्वारा शहर के मुख्य मार्गों का निरीक्षण किया गया जिसके तहत स्वस्तिक क्लासेस, उत्कर्ष एकेडमी, अभ्यास कैरियर इंस्टीट्यूट, प्रजापति कैरियर इंस्टीट्यूट, एलीवेशन एग्रीकल्चर एकेडमी, गौरी क्लीनिक फार्मसी, एलीवेशन एग्रीकल्चर एकेडमी, माखनलाल चतुर्वेदी, सुप्रीम मेंडिकल एवं नर्सिंग एकेडमी के पोस्टर अवैध रूप लगे पाये गये। संबंधितों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी। गंदगी करने पर

8 मार्च को 96 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 08 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 08 मार्च मंगलवार को 96 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

08 मार्च मंगलवार को डम्पर से 30455, ट्रेक्टर से 14570, मैजिक सूखा कचरा 34750, मैजिक गीला कचरा 16440 व सेनेटरी वेस्ट 19 किलो इस तरह कुल 96234 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

15 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त

रतलाम 07 मार्च । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 15 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

08 मार्च मंगलवार को वार्डों में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में पुष्पाबाई पति प्रहलाद, उमेश-प्रहलाद, बादल-दिलीप, अजय-विनोद, विजय-फुलचन्द्र, दीपक-जगदीश, सावित्रीबाई पति राजेश, मायाबाई पति हुक्मीचन्द, झोन क्रमांक 2 में बबीताबाई पति कमल, लताबाई पति संजय, महेश-देवकरण, अर्जून-राकेश, संजय-शिव, झोन क्रमांक 4 में सुनीताबाई पति राजकपूर व रामू-जारू इस तरह 15 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के विभिन्न करों से 17.13 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम 08 मार्च । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 08 मार्च मंगलवार को कुल राशि रूपये 17,13,664/- का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 08 मार्च मंगलवार को संपत्तिकर कार्यालय से 805303, वसूली दल 431187 कुल 1236490, जलकर कार्यालय से 178850, दुकान गुमटी किराया कार्यालय 42744, वसूली दल 210345 कुल 253089, स्पॉट फाईन 38950, लायसेंस 6285 इस तरह कुल राशि रूपये 17,13,664/- का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

कार्य में लापरवाही बरतने पर 2 सफाई संरक्षकों का 1 दिवस का वेतन काटा

रतलाम 8 मार्च । महू रोड बस स्टैण्ड परिसर के सफाई कार्य में लापरवाही बरतने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार सफाई मित्र मनीष-मुकेश व अरुण मोलाराम का एक दिवस का वेतन काटकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

संपत्ति विरूपण के तहत 300 से अधिक छोटे-बड़े फ्लेक्स बोर्ड हटाये गये

रतलाम 07 मार्च । संपत्ति विरूपण के तहत 7 मार्च सोमवार को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार न्यू कलेक्टोरेट से फव्वारा चौक, फव्वारा चौक से कोर्ट तिराहा, कोर्ट तिराहे से दो बत्ती, दो बत्ती से सैलाना बस स्टैण्ड से बरबड़ तक से बिना अनुमति के लगे 300 से अधिक फ्लेक्स होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाकर जब्त किया गया। बिना अनुमति के फ्लेक्स होर्डिंग, बैनर व पोस्टर लगाने वालों के विरुद्ध नगर निगम द्वारा एफआईआर दर्ज की जावेगी।

रात्रीकालिन सफाई के 2 सफाई मित्रों का 1 दिवस का वेतन काटा सेवा से बर्खास्त किये जाने का जारी किया कारण बताओ सूचना-पत्र तीन दिवस तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी होंगे बर्खास्त

रतलाम 08 मार्च । शहर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर की 4 व 2 लेन सड़क, मुख्य सड़क, व्यावसायिक क्षेत्र, प्रमुख चौराहे, उद्यान आदि की रात्रीकालिन सफाई हेतु नियुक्त 100 सफाई मित्रों में से 2 सफाई मित्रों द्वारा 06 मार्च रविवार को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 1 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत 07 मार्च सोमवार को शंकर-पूनमचन्द व विकास-किशोर द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर 1 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बिना सूचना के लगातार तीन दिवस अनुपस्थित रहने वाले सफाई मित्रों को सेवा से बर्खास्त किया जायेगा।

रांगोली से दिया नागरिकों को स्वच्छता का संदेश

रतलाम 8 मार्च । नगर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किये जाने हेतु नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के विभिन्न चौराहों, सार्वजनिक स्थलों, शासकीय भवनों आदि पर स्वच्छता का संदेश देने वाली रांगोली बनाई जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर को साफ-स्वच्छ बनाने हेतु नगर निगम तो अपना कार्य कर ही रहा है रतलाम नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नम्बर 1 तभी बनाया जा सकता है जब नगर के नागरिकों की इसमें सहभागिता हो। इस कार्य में आम नागरिकों की सहभागिता व जागरूकता हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर रांगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री

सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो०नं० 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 8 मार्च । निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री के नियमानुसार निष्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपशिष्ट सामग्री कांक्रीट, इंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराये रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 08 मार्च । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से कराये अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होंने अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000/- एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500/- प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/- रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3318 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 119 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 08 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 3098 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 114 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 08 मार्च । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 08 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकां से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 08 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 08 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/08.03.2022/न.पा.निगम, रतलाम.